## न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 25 / 2022

सरकार बनाम 1–रामफल पुत्र दलेराम, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला (फौत)
1/1 –मंजू देवी पत्नी रामफल, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत**

निर्णय दिनांक 28.02.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रामफल पुत्र दलेराम, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला द्वारा रोही मौजा सूजंडोला की राजकीय भूमि ख.नं. 191 कुल रकबा 1.56 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ में से 0.05 है0 भूमि पर गोबर की कुरड़ी डालकर एवं पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तामील कुनीन्दा गैर सायल रामफल पुत्र दलेराम की मृत्यु हो चुकी है। इस पर पटवारी हल्का से पुनः रिपोर्ट ली गई, जिसके अनुसार तामील कुनीन्दा की रिपोर्ट की पुष्टी हुई कि गैर सायल रामफल पुत्र दलेराम, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके स्थान पर उसकी पत्नी श्रीमती मंजू देवी पत्नी रामफल, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला अतिक्रमण की रिपोर्ट में वर्णित स्थल पर काबिज है। अतः मंजू देवी पत्नी रामफल, जाति–जाट, निवासी–सूजड़ोला के नाम से नोटिस जारी किया गया। गैर सायला मंजू देवी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायला को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 55 पर
वर्ष 2021-22 में रुपये 15/- कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां )
तहसीलदार, सूरजगढ़